# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 98-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026 (ASADHA 3, 1948 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

परिवहन विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 24 जून, 2026

**संख्या 6/3/2026–6टी(I).–** हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 24) की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आने वाले जिलों में खरीदे गए तथा पंजीकृत नए बीएस–VI अथवा उससे कठोर उत्सर्जन मानकों/ईवी/सीएनजी ट्रकों एवं बसों की खरीद पर एक सौ प्रतिशत तथा ऐसे प्रयुक्त ट्रकों एवं बसों की खरीद पर पचास प्रतिशत मोटर वाहन कर से छूट प्रदान करते हैं। छूट ऐसे ट्रकों एवं बसों के प्रथम पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष की अवधि तक वैध होगी। नए अथवा प्रयुक्त प्रतिस्थापन बीएस–VI अथवा कठोर मानकों/ईवी/सी0एन0जी ट्रकों एवं बसों की खरीद के लिए मोटर वाहन कर में छूट प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पात्रता मानदंड होंगे, अर्थात्:–

1. योजना का लाभार्थी राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आने वाले जिलों में पंजीकृत ऐसे परिवहन ट्रक या बस का स्वामी होना चाहिए, जो बीएस–IV अथवा उससे पूर्व के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हो।

2. अनिवार्य स्क्रैपिंग/विक्रयः

   (क) बीएस–III अथवा उससे पुराने ट्रकों एवं बसों को राज्य में कार्यशील पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आर0वी0एस0एफ) में अनिवार्य रूप से स्क्रैप कराया जाना अनिवार्य होगा;

   (ख) बीएस–IV ट्रकों एवं बसों को या तो किसी वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप कराया जा सकता है अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर किसी गैर–एनसीएपी (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) शहर या क्षेत्र में बेचा जा सकता है।

3. नए अथवा प्रयुक्त प्रतिस्थापन ट्रकों एवं बसों (बीएस–VI अथवा कठोर मानकों/ईवी/सी0एन0जी) की खरीद एवं पंजीकरण राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आने वाले जिलों में किया जाना अनिवार्य होगा।

आगे, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आने वाले जिलों में पंजीकृत पुराने बीएस–IV अथवा उससे पूर्व के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप ट्रकों तथा बसों के संबंध में एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित बकाया देयताओं से भी छूट प्रदान करते हैं।

डॉ0 राजा सेखर वुंदरू,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**

TRANSPORT DEPARTMENT

**Notification**

The 24th June, 2026

**No. 6/3/2026-6T(I).—** In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 16 of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016 (24 of 2016), the Governor of Haryana hereby exempts 100 percent Motor Vehicle (MV) Tax on purchase of new BS-VI or stricter norms/EV/CNG trucks and buses; and 50 percent Motor Vehicle (MV) Tax on purchase of such used trucks and buses, purchased and registered in the NCR districts of the State. The exemption shall be valid for a period of ten years from the date of first registration of such trucks and buses. The following shall be eligibility criteria to avail the exemptions in the Motor Vehicles Tax for the purchase of new or used replacement trucks and buses (BS-VI or stricter norms/EV/CNG), namely:

1. Scheme beneficiary must own a transport truck or bus registered in the NCR districts of the State which is BS-IV or prior emission norms compliant.

2. Mandatory Scrapping/Sale:

   (a) BS-III or older trucks and buses must be scrapped strictly at a Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) functional in the State.

   (b) BS-IV trucks and buses can either be scrapped at an RVSF or sold outside the NCR in a non-NCAP (National Clean Air Program) city or area.

3. New or used replacement trucks and buses (BS-VI or stricter norms/EV/CNG) must be purchased and registered within the NCR districts of the State.

The Governor of Haryana further exempts the outstanding liability, pending for more than one year, in respect of old BS-IV or prior emission norms compliant trucks and buses registered in the NCR districts of the State of Haryana.

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

12704—C.S.—H.G.P., Pkl.